

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3520

दिनांक: 30/07/11


// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिचय 28(भाग-3) की धारा 6(1)(सी) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : केशव महाविद्यालय, शिवपुरी

मनोनीत सदस्य : 1. श्री अशोक शर्मा सदस्य, कार्यपरिषद्
2. डॉ. नगेन्द्र चतुर्वेदी, भौतिकी विभाग, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, ग्वालियर


उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

1. सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
2. प्राचार्य, केशव महाविद्यालय, शिवपुरी की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाई जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित होने वाले सदस्यों का टी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


अधिष्ठाता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अदृश्य शिक्षा जादे जिससे उचित हो।



जाने : मुनीमौदो
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4559

दिनांक: 15/02/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध केशव शिक्षा महाविद्यालय, शिवपुरी (07492-211512) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचयन 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.एन. गौतम, आचार्य, पुस्तकालय विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)
- (2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद्, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. डी.एन. गोस्वामी, आचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (4) डॉ. बी.एल. यादव, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचयन 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्क से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीडा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करावें। समिति संयोजक से निवेदन है कि वे उक्त निर्धारित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति स्वतः बिरस्त हो जावेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुनर्गठन किया जावेगा। परिचयन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।


कुलसचिव

प्रतिदिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर अभिष्ट है कि समिति के संयोजक से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे राखिया हो।



ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4971

दिनांक: 01/06/12

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने सम्बद्ध केशव महाविद्यालय, शिवपुरी को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की स्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिचय 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति गठन किया है :-


- (1) प्रो. डी.सी. तिवारी, आचार्य भौतिकी अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442828)
- (2) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता, महाविद्यालयीय विकास परिषद्, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) डॉ. डी.एस. महाजन, व्याख्याता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिचय 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राथिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हैं। स.स. समस्त समितियों के संयोजकों एवं महाविद्यालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने महाविद्यालयों का निरीक्षण निर्धारित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न कर लें। यदि कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के निर्धारण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एक माह तक संयोजक से सम्पर्क नहीं करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं समिति के सदस्यों के साथ किसी भी दिन सम्बन्धित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जमा कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। ना ही महाविद्यालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा सकेगा।

"निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वारा देय होगा।"


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय द्वाारा निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के त्रिजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जी राजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त एम.एस.ए. कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे व कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम से।
सम्बन्धित विषय : यदि पूर्व में एम.एस.ए. द्वारा न तो एम.एस.ए. पर विचार अवश्य लेना कार्य किल : संवेद्य है।



राज्य : गुजरात
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (स्वादेश)
2442402 (गिरेण)
फैक्स : 0091-0751-2041758
E-mail : jureg_gwa@rediffmail.com
Website :
http://www.jwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/एम.एस.ए/2012/ 374

दिनांक : 18/10/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 अक्टूबर, 2012 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार केशव शिक्षा महाविद्यालय, शिवपुरी को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संवाहित जी.एस. कार्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ मान्य करी जाती है।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. प्राचार्य को नियुक्ति 28(17) में तत्काल कर विश्वविद्यालय को सूचित करें। जो नियुक्ति 28(17) में शिक्षकों की की गई है, उनका अनुमोदन कार्यपरिषद् से कराये।
2. बन्वालय में रु. 30,000/- की पुस्तकें क्रय करें।
3. प्रयोगशाला में रु. 50,000/- के उपकरण क्रय किये जावें।
4. शासी निहाय की नियमित बैठक आयोजित करें।
5. शिक्षकों से वेतन बैंक/अथवा बैंक के माध्यम से करें।
6. परिशिष्ट 27,28 का पालन पूरी तरह सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार
3/10/12
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, केशव शिक्षा महाविद्यालय, शिवपुरी
2. उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, माखन भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
3. आयुक्त, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, रतनपुरा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-वंकट संभाग, गौरी गहन परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परिष्कार/सोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्षा क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

डी.सी.सी.